

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 20.06.2017 को सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारियों एवं हवाई फोटोग्राफी से संबंधित एजेंसी के प्रतिनिधियों की आयोजित बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति संधारित।

सर्वप्रथम आई0एल0 एण्ड एफ0एस0 एजेंसी के प्रतिनिधि द्वारा चयनित जिलों नालंदा, शेखपुरा एवं गोपालगंज के सर्वेक्षण कार्य के संपादन के लिए एक्शन प्लॉन का प्रस्तुतीकरण किया गया। पुनः इनके द्वारा चयनित जिला गोपालगंज के बजाय मुंगेर का चयन किया गया, जिसमें विस्तारपूर्वक बताया गया कि उनके द्वारा ईमेज प्रोसेसिंग से लेकर अंतिम प्रकाशन तक किस प्रकार कार्य किया जाएगा। इस तरह आई0आई0सी0 एजेंसी के द्वारा भी क्रमशः बेगूसराय, लखीसराय एवं खगड़िया तथा जी0आई0एस0 के द्वारा सहरसा, मधेपुरा एवं सुपौल जिलों के सर्वेक्षण कार्य हेतु एक्शन प्लॉन का प्रस्तुतीकरण दिया गया। आई0एल0एण्ड एफ0एस0 के प्रस्तुतीकरण का मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार है :-

### Action Plan –Phase 1:03 Priority Districts

Key Action Items - Description	Description	Initiation Date	Target Date	Target Output / Deliverables	Remarks
Aerial Image Processing priority 03 Districts ( Nalanda, Sekhpura & Gopalganj)	Completed aerial image processing by doing all surface editing and generation of Ortho photo	1 <sup>st</sup> May 2017	30 <sup>th</sup> June 2017	03 Districts completion	Ground Truthing
Ground truthing of Aerial Ortho Photo	Ground truthing of aerial orthophoto by using ETS/ DGPS for quality assessment	1 <sup>st</sup> June 2017	30 <sup>th</sup> June 2017	03 Districts completion	Ground Truthing shall be based on the sample test cases
Map Digitization & Submission of 03 Priority Districts	Digitization village parcels and submission of resurvey village map	15 <sup>th</sup> June 2017	31 <sup>st</sup> October 2017	Between 500-750 villages / blocks / taluqa and subsequently up to 750-1000 villages / next 02 month	Resurveyed village map

Kistwar Activity (Village boundary Checking & Tri junction Point demarcation & field verification wrt Govt land / Parcels)	Village boundary Verification & Tri junction marking & alignment by using DGPS / ETS	15 <sup>th</sup> September 2017	30 <sup>th</sup> December 2017	10-15 Anchal / Month	Jointly shall be done with the departments. Multiple team will be deputed as parallel approach
Submission of updated kistwar map to the department for Priority 03 Districts	Incorporation field verification input and submission of updated map to the settlement office	01 <sup>st</sup> October 2017	30 <sup>th</sup> December 2017	Between 500-1000 villages / month	Continuous Mode / As per requirement
Support to Khanapuri Activity	Support to Khanapuri by deputing Resource / ETS equipment's at field	15 <sup>th</sup> October 2017	30 <sup>th</sup> March 2018	Continuous Mode	Need to ascertain the department readiness

## 1. Project Current Status - Summary1

### 1.1 Establishment of Ground Control Network (GCN) and their Monumentation: *Completed*

उपर्युक्त वर्णित बिन्दु के संबंध में जी0आई0एस0 सलाहकार द्वारा बताया गया कि वर्तमान में अवस्थित ग्राम कन्ट्रोल प्वाइंट पर्याप्त मात्रा में नहीं है। किसी भी राजस्व ग्राम में एक भी टर्सरी (Tertiary) प्वाइंट स्थापित नहीं किया गया है जिसके कारण मापी के दौरान कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

अतः इस संबंध में हवाई सर्वेक्षण से संबंधित एजेंसियों को निदेशित किया गया कि प्रत्येक राजस्व ग्राम में आकार एवं फैलाव के अनुरूप टर्सरी (Tertiary) प्वाइंट का निर्माण एवं *Post-Monumentation* किया जाय, साथ ही संबंधित राजस्व ग्राम में अवस्थित तीन सीमाना का भी *Post-Monumentation* किया जाय।

(अनुपालन :- संबंधित एजेंसी)

- 1.2 Aerial Photography Clearance from DGCA / MoD : *Completed*
- 1.3 Acquisition of Aerial Photographs : *Completed*
- 1.4 Aerial data vetting from MoD ; *Completed*
- 1.5 Aerial Image Processing and Generation of Orthophoto ; *In Process*
- 1.6 Ground truthing & Field Verification of Resurvey digitized maps using ETS / DGPS
- 1.7 Updation & Revision of maps based on field input (If Any)

- 1.8 Submission of Resurvey digitized maps Village / Mouza
- 1.9 Digitization of cadastral parcels and delineation of village boundary from Orthophoto using reference of cadastral maps

विभिन्न बन्दोबस्त कार्यालय के स0व0प0 द्वारा बताया गया कि Ground truthing का कार्य एवं मुस्तकिल (तीनसीमाना) कायम करने का कार्य नहीं किया गया है। साथ ही यह भी बताया गया कि एजेंसी द्वारा समर्पित ग्राम-सीमा जमीनी रूप से सत्यापित नहीं है।

इस संबंध में बन्दोबस्त कार्यालय, बेगूसराय के सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मुख्यालय) द्वारा बताया गया कि राजस्व ग्राम के सीमा निर्धारण में एवं सीमा पर गैप, ओभरलैप की स्थिति में क्या प्रक्रिया अपनायी जाय। इस संबंध में स्पष्ट मार्गदर्शन की आवश्यकता है।

इस संबंध में सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा अपने जिला में किये गये कार्य के बारे में बताया गया कि सर्वप्रथम राजस्व ग्राम में अवस्थित स्थायी मुस्तकिलों का निर्धारण किया जाय, जिसके पश्चात् तीनसीमाना का निर्धारण किया जाय तत्पश्चात् राजस्व ग्राम के सीमा-रेखा का निर्धारण/सत्यापन किया जाय, इसके बावजूद अगर सीमा-सत्यापन में किसी प्रकार की कठिनाई रह जाती है तो सीमा-रेखा के दोनों तरफ अवस्थित खेसरो को माप कर सीमा-रेखा का सत्यापन किया जाय। इसके दौरान राजस्व ग्राम के रकवा में कमी या वृद्धि हो सकती है।

राजस्व ग्राम के सीमा-सत्यापन का कार्य उत्तर-पश्चिम से प्रारंभ कर दक्षिण-पूर्व की ओर किया जाय इसके साथ ही आसन्न राजस्व ग्रामों का सीमा-सत्यापन एक साथ किया जाय।

प्रधान सचिव द्वारा इस संबंध में निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण को निदेशित किया गया कि इस आशय का लिखित लिखित मार्गदर्शन निर्गत किया जाय। साथ ही संबंधित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा किये गये कार्य की सराहना की गई एवं प्रशंसा पत्र देने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :- निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार)  
सहायक निदेशक द्वारा यह सूचना भी दी गयी कि सर्वेक्षण से संबंधित अन्य समस्याओं के लिए विशेष सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 21.06.2017 को निर्धारित है।

- 1.9 Integration with updated RoR.
- 1.10 Draft Publication
- 1.11 Final Publication

2. विभिन्न एजेंसियों द्वारा एक्शन प्लॉन से संबंधित दिये गये प्रस्तुतीकरण के आलोक में संबंधित बन्दोबस्त कार्यालयों के सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मुख्यालय) से मंतव्य की मांग की गई तथा उक्त एक्शन प्लॉन के अनुसार कार्य करने में क्या-क्या कठिनाई होगी तथा इसके समाधान की दिशा में बन्दोबस्त कार्यालय द्वारा ही कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है।

(अनुपालन :- सभी सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, मुख्यालय)

3. सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रपत्र-5 में खेसरो की चौहदी अंकित करने का प्रावधान नहीं किया गया है, जिसके कारण प्रपत्र-18 एवं 19 निर्गत करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में निदेशित किया गया कि प्रपत्र-5, प्रपत्र-18 एवं 19 के अभ्युक्ति कॉलम में खेसरो की चौहदी दर्ज की जाय।

(अनुपालन :- सभी सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी)

4. सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, बेगूसराय द्वारा बताया गया कि प्रपत्र-12 के प्रकाशन के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई के बाद भी अभिलेख में त्रुटियाँ रह जाती हैं, जिसके निराकरण की कोई प्रक्रिया नियमावली में वर्णित नहीं है, अतः प्रपत्र-6 के निर्माण एवं प्रपत्र-7 के वितरण के पूर्व अभिलेखों की पूरी तरह जाँच कर लेना श्रेयस्कर होगा।

5. सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, लखीसराय द्वारा बताया गया कि यदि प्रपत्र-18 एवं 19 का सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया जाता है एवं तत्पश्चात् नेटलिक के द्वारा प्रपत्र-18 एवं 19 तैयार कर दिया जाता है तो 10 दिनों के अंदर दो राजस्व ग्रामों का प्रपत्र-20 का प्रकाशन कर दिया जायेगा।

इस संबंध में निदेशक को एन0आई0सी0 से सॉफ्टवेयर नेटलिक को उपलब्ध करवाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :- निदेशक, मू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार)

6. आई0एल0एण्ड एफ0एस0 के प्रतिनिधि द्वारा स्थल सत्यापन के दौरान अमीन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

इस संबंध में प्रधान सचिव द्वारा बताया गया कि यह कार्य मुख्य रूप से एजेंसी द्वारा किया जाना है। आवश्यकतानुसार सहयोग हेतु, अमीन उपलब्ध कराया जायेगा।

6.1 एजेंसी द्वारा किये गये स्थल सत्यापन की जाँच बन्दोबस्त कार्यालय के पदाधिकारियों एवं जी0आई0एस0 टीम द्वारा किया जाना है।

(अनुपालन :- जी0आई0एस0 टीम एवं स0ब0प0, मु0)

7. नेटलिक के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि उनका कार्य प्रपत्र-6 की इंटी से प्रारंभ होता है, लेकिन प्रपत्र-18 तैयार करने हेतु प्रपत्र-5 को डिजिटাইज्ड करना आवश्यक है, जो उनके एकरारनामा में अंकित नहीं है।

इस संबंध में निदेशक द्वारा नेटलिक एवं उर्मिला एजेंसी को निदेशित किया गया कि सर्वप्रथम वे अपना एकरारनामा एवं उनके द्वारा किये जाने वाले कार्य के विरुद्ध भुगतान के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन उपलब्ध कराये।

सभी सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी एवं मुख्यालय के पदाधिकारियों द्वारा इन एजेंसियों के कार्यकलापों की ऑनलाईन समीक्षा की जाय।

(अनुपालन :- नेटलिक एवं उर्मिला इंफोटेक)

8. हवाई सर्वेक्षण से संबंधित एजेंसी के प्रतिनिधि द्वारा सूचना दी गयी कि एन0आई0सी0 द्वारा एल0पी0एम0 निर्माण हेतु उपलब्ध कराये गये लिंक से एल0पी0एम0 निर्माण में अधिक समय लगेगा अतएव एन0आई0सी0 से एल0पी0एम0 का सॉफ्टवेयर एजेंसियों को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। इस संबंध में सहायक निदेशक को आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :- सहायक निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार)

9. जब तक तकनीकी मार्गदर्शिका का प्रकाशन नहीं किया जाता है तबतक के लिए सर्वेक्षण से संबंधित कार्य के निष्पादन हेतु FAQ निर्गत किया जाय।

(अनुपालन :- जी0आई0एस0 सलाहकार)

10. दूसरे राज्य यथा उड़ीसा के द्वारा सर्वेक्षण से संबंधित निर्गत तकनीकी मार्गदर्शन का अध्ययन कर तकनीकी मार्गदर्शिका प्रकाशित किया जाय।

(अनुपालन :- जी0आई0एस0 सलाहकार)

**11 उपस्थित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारियों एवं एजेंसी के प्रतिनिधियों को निम्नांकित निदेश दिये गये :-**

11.1 प्राथमिकता के आधार पर चयनित जिलों के लिए सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मुख्यालय) एवं एजेंसी के प्रतिनिधि मिल कर सर्वेक्षण हेतु एक्शन प्लॉन दिनांक 30.06.2017 तक निश्चित रूप से मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, निदेशालय इसकी समीक्षा दिनांक 05.07.2017 तक कर निदेशक को अवगत करायेंगे एवं अगली संभावित मासिक समीक्षा बैठक दिनांक 10.07.2017 में उपस्थापित करेंगे। जिसमें निम्नांकित बिन्दु सम्मिलित होंगे :-

- (i) Volume of work,
- (ii) No. of Manpower required/made available by agency.
- (iii) No. of Manpower required/available with the Settlement Office.
- (iv) No. of Machine required/available
- (v) No. of Support Staff required/available
- (vi) Village wise Timeline

11.2 प्रधान सचिव द्वारा खानापूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतने के लिए सुनवाई की तिथि के अनुरूप ग्रामों की सूची, वादी-प्रतिवादी एवं विवाद के विषय की सूची को वेबसाईट पर सार्वजनिक करने का निदेश दिया गया। बन्दोबस्त कार्यालयों में संचालित शिविरों की मासिक समीक्षा ऑनलाईन किये जाने का निदेश दिया गया। अमीन के कार्यों के साप्ताहिक प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में यह भी निदेश दिया कि ऑनलाईन समीक्षा के द्वारा सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले पाँच-पाँच अमीनों, कानूनगो एवं सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी को चिन्हित कर उसकी सूची उपलब्ध करायी जाय।

(अनुपालन :- आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि, सुधार विभाग)

11.3 प्रत्येक बन्दोबस्त कार्यालय अपना प्रशिक्षण कैलेंडर एजेंसी की सहायता से तैयार करेंगे। इसका उद्देश्य बन्दोबस्त कार्यालय के पदाधिकारियों/अमीनों को नई तकनीक से एजेंसी के द्वारा अवगत कराया जाना है। इसमें निम्नलिखित बिन्दु सम्मिलित होंगे:-

- (i) नये सर्वेक्षण के क्या-क्या स्टेज है।
- (ii) पुराने सर्वेक्षण से क्या-क्या भिन्नता है।
- (iii) नये सर्वेक्षण में किन-किन बिन्दुओं की जाँच की जानी चाहिए।

(अनुपालन :- संबंधित बन्दोबस्त कार्यालय एवं एजेंसी)

11.4 जी0आई0एस0 सलाहकार के निदेशित किया गया कि ईमेज प्रोसेसिंग एवं स्थल सत्यापन के बारीकियों से सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी एवं अमीनों को अवगत कराया जाय ताकि एजेंसी द्वारा किये जा रहे कार्यों की जाँच की जा सके।

(अनुपालन :- जी0आई0एस0 सलाहकार)

11.5 हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों को निदेशित किया गया कि ईमेज प्रोसेसिंग एवं स्थल सत्यापन का ग्रामवार प्रतिवेदन साप्ताहिक रूप से संबंधित बन्दोबस्त कार्यालय को समर्पित करेंगे एवं सॉफ्ट प्रतिलिपि निदेशालय को भी उपलब्ध कराये। जिसमें निम्नलिखित तथ्य सम्मिलित होने चाहिए :-

- (i) ऑर्थो फोटो पर किसी नियत बिन्दु का निर्देशांक (कॉऑर्डिनेट एवं हाईट) एवं उसी बिन्दु का जमीन पर डी०जी०पी०एस० से नापा गया निर्देशांक (कॉऑर्डिनेट एवं हाईट)
- (ii) ऑर्थो फोटो पर एक किलोमीटर से अधिक की दूरी पर पहचाने गये दो स्थायी फीचर की दूरी एवं उसी स्थायी फीचर के बीच जमीन पर ई०टी०एस० से नापी गयी दूरी
- (iii) ग्राम में स्थापित किये गये टी०सी०पी० (Tertiary Control Point)की संख्या
- (iv) ग्राम में स्थापित किये गये ट्राईजंक्शन (तीनसीमाना) की संख्या

(अनुपालन :- संबंधित एजेंसी)

- 11.6 एजेंसी एवं सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि प्रत्येक सप्ताह कार्यों की समीक्षा एवं योजना हेतु समन्वय बैठक किया जाय, जिसकी कार्यवाही निदेशालय को उपलब्ध करायी जाय।

(अनुपालन :- संबंधित बन्दोबस्त कार्यालय एवं एजेंसी)

- 11.7 सहायक निदेशक को निदेशित किया गया कि संबंधित जिला के समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी को पत्र भेजा जाय कि सर्वेक्षण कार्य में संलग्न सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मुख्यालय) को निदेशालय की अनुमति के बिना बदला नहीं जाय।

हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों को निदेशित किया गया कि उनके आवंटित जिले से संबंधित राजस्व ग्राम जिनका मानचित्र उपलब्ध नहीं है, उसकी सूची नाम एव राजस्व थाना नं० के साथ उप निदेशक, गुलजारबाग को उपलब्ध करायी जाय ताकि इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

(अनुपालन :- उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण, गुलजारबाग )

- 11.8 सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मुख्यालय), नालंदा को निदेशित किया गया कि अंतिम रूप से प्रकाशित दो राजस्व ग्रामों के अधिकार-अभिलेख में व्याप्त त्रुटियों के निराकरण हेतु समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी के माध्यम से मंत्रालय के साथ प्रतिवेदन निदेशालय को उपलब्ध कराया जाय।

ह० / -

प्रधान सचिव

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :-17 विशेष सर्वेक्षण (रोड मैप समीक्षा)-178/2016 पटना, दिनांक:- .....

प्रतिलिपि :- समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार एवं मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र)

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :-17 विशेष सर्वेक्षण (रोड मैप समीक्षा)-178/2016 पटना, दिनांक:- .....

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी/सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी (मुख्यालय), नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार एवं मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

निदेशक

ज्ञापांक :-17 विशेष सर्वेक्षण (रोड मैप समीक्षा)-178/2016 पटना, दिनांक:- .....

प्रतिलिपि :- प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर, पटना, कोशी एवं पूर्णियाँ को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

निदेशक

ज्ञापांक :-17 विशेष सर्वेक्षण (रोड मैप समीक्षा)-178/2016 पटना, दिनांक:- .....

प्रतिलिपि :- राज्य भूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, बिहार, पटना/श्री संजय कुमार, तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

निदेशक

ज्ञापांक :-17 विशेष सर्वेक्षण (रोड मैप समीक्षा)-178/2016 पटना, दिनांक:- 27/6/2017

प्रतिलिपि :- आई0टी0मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

9/27/17  
निदेशक